प्रकरण संख्या 14/2019 रायचन्द व अन्य बनाम हकरा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पाडला मोखा, तहसील सज्जनगढ़ में स्थित आराजी नंबर 2, 85, 87, 89 कुल किता 4 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादीगण के पैत्रक होकर उक्त आराजी नंबर 85, 87, 89 रियासती सेटलमेन्ट सन् 1915 में वादी के पूर्वज नागजी पिता हरजी के खातेदारी में दर्ज है तथा आराजी नंबर 2 वादीगण के पिता थावरा के द्वारा निकाली होकर उनके कब्जे काश्त की है। वर्तमान सेटलमेन्ट में आराजी नंबर 85, 87, 89 प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भूरा के नाम गलत दर्ज कर दी गयी है, जबकि प्रतिवादी का परिवार वादीगण के परिवार से अलग है एवं नागजी का वंशज नहीं है। नागजी की वंशावली वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। भूरा नागजी का वंशज नहीं है तथा न ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भूरा के पुत्र हैं, क्योंकि भूरा कुंवारा फोत हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने नकली पुत्र बनकर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम की प्रविष्टि करवा ली है, जो वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व भूरा का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 9, 13 से 19 की ओर से स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि सेटलमेन्ट सन् 1950 में विवादित भूमि भूरा के नाम दर्ज था तथा उससे पूर्व भूरा के पिता देवा के नाम दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भूरा के वारिस होकर काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण का उक्त आराजियात में कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 6 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 27.08.2019 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा दिनांक 14.11.2019 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पाण्डेन्टगण को नोटिस जारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:09 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 20 व 21 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए, शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री समर पण्डया उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट मजदूरी हेतु गुजरात चला गया था, जिससे वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका। वापस आने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उसे उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलान्टगण द्वारा जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि तनकी नंबर 1 से 4 जिन्हें साबिक करने का भार अपीलान्ट/वादीगण पर था, अपीलान्ट ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से पूर्णतया साबित करवाया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सिद्ध होना नहीं मानकर उक्त तनकियों का निर्णय अपीलान्ट/वादीगण के विरूद्ध करने में भूल की है। इसी प्रकार तनकी नंबर 5 जिसे साबित कराने का भार प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट पर था, उसे साबित मानकर निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है। भूरा के नाम भूमि गलत रूप से दर्ज हुई है तथा भूरा की मृत्यु पश्चात प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम जो नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है, वह प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। तुलनात्मक नकल अपीलान्टगण को उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण उनके द्वारा पेश नहीं की जा सकी, किन्तु वर्तमान सेटलमेन्ट के खेत सभी पुराने सेटलमेन्ट के वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित अनुसार होकर अपीलान्टगण के पूर्वजों के खातेदारी में दर्ज थी। संवत् 2006 से 2017 तक उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज थावरा के नाम दर्ज थी, सेटलमेन्ट के दौरान भूरा का नाम गलत रूप से दर्ज हुआ है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:09 IST
Reason: SelfAttested

जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। खतौनी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट संवत् 1950 में आराजी नंबर 85, 87, 89 कुल किता 3 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता भूरा वल्द देवा के खातेदारी में दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में विवादित 2, 85, 87, 89 कुल किता 4 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खातेदारी में दर्ज है। संवत् 2015 में आराजी नंबर 2 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा भूमि नगजी वल्द हरजी के नाम दर्ज है। अपीलान्टगण का कथन है कि उक्त आराजी नंबर 2 से ही हाल आराजी नंबरी 85, 87 व 89 बने हैं, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा कोई मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि साबिक आराजी नंबर 2 से ही हाल आराजी नंबर 85, 87, 89 बने हों। वादी का वाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होता है इसलिए यह वादीगण का दायित्व था कि अपने जिम्मे की तनकियों को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कराते। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 34/2017 में पारित निर्णय एवं डिक्री 27.08.2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:09 IST
Reason: SelfAttested